न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 438/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भंवरसिह पुत्र करण सिह 2– माधुसिह पुत्र करण सिह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम खिरजा भोजा, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर 2– जेठू सिह पुत्र भोजराज सिह 3– अमर सिह पुत्र भोजराज सिह 4– महेन्द सिह पुत्र भोजराज सिह 5– हुकम सिह पुत्र भोजराज सिह 6– नाथु सिह पुत्र खेत सिह 7– राजु कंवर पुत्री भोम सिह 8– कंवरू कंवर पत्नी भोम सिह 9– अर्जुन सिह पुत्र शैतान सिह 10–चन्द्र सिह पुत्र शैतान सिह 11–नरपत सिह पुत्र शैतान सिह 12–भीख सिह पुत्र शैतान सिह 13–राम सिह पुत्र गायड सिह 14–दीप सिह पुत्र गायड सिह 15–सुजान सिह पुत्र गायड सिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण गांव खिरजा भोजा तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक राजस्व/2018/199 दिनांक 20–7–2018 जो उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जोग सिह भाटी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अनिल राठी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 15 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांटगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत ग्राम खिरजा भोजा पटवार मण्डल खिरजा तिबना तहसील शेरगढ के खसरा नंबर 313, 313/3, 313/2 की भूमि मे से मौके पर विद्यमान रास्ते का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही होने से तहसीलदार (भू0अ0) शेरगढ ने राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10–8–2016 की पालना मे उक्त खसरा नंबरान की भूमि मे से कमशः 0.08 बिस्वा, 1.00 बीघा एवं 0.08 बिस्वा भूमि के रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता के रूप मे दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव उनके कार्यालय पत्रांक भू0अ0/18/2357 दिनांक 16–7–2018 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को प्रेषित किया जाने पर उक्त प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने उनके कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2018/199 दिनांक 20–7–18 के

द्वारा उक्त प्रस्तावित खसरे की भूमि का पृथक खसरा नंबर कायम करते हुए भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रसारित किये तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नक्शे मे लाल स्याही मे अंकन करने संबंधी आदेश पारित किया । उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने के बाद पृथक–पृथक दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के क्रमशः दिनांक 8–3–19 एवं 14–3–19 को प्रस्तुत हुए, तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट अधिवक्ता की ओर से दिनांक 14–3–19 को प्रस्तुत हुआ जिसमे अपीलांट संख्या 1 सुलतान सिह स्वयं के पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील विड्रो करने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्रो पर पक्षकारो के अधिवक्ता को सुना जाकर उक्त तीनो प्रार्थना पत्र आदेशिका दिनांक 14–3–19 एवं 6–5–19 से स्वीकार करते हुए संशोधित अपील का मुखपृष्ठ रेकर्ड पर लिया गया ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटगण खातेदारो को किसी प्रकार की सूचना एवं सहमति हेतु प्रयास नही किया तथा बाले–बाले अपीलांटगण के खातेदारी की कृषि भूमि के मध्य से गै.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि जिस पक्षकार के विरूद्ध किसी प्रकार का विधिक आदेश पारित किया जाता है तो उससे पूर्व उस पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है परंतु वर्तमान मामले मे अपीलांटगण को किसी प्रकार की सूचना या सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार शेरगढ ने अपीलाधीन भूमि मे से गै.मु.रास्ते का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को भेजने से पूर्व अपीलांटगण की कृषि भूमि के आस–पास के भोगोलिक परिक्षेत्र की विस्तृत वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही खातेदार की कृषि भूमि से रास्ता निकालने के लिए आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत किसी खातेदार की जोत मे से होकर नया मार्ग खोलने या विद्यमान रास्ते का विस्तार करने का प्रावधान दिया हुआ है । इस प्रावधान के तहत जरूरतमंद पक्षकार संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच उपरांत संतुष्ट होने पर धारा 251 (क)के तहत आदेश पारित करेगा परंतु वर्तमान मामले मे ऐसी कोई संक्षिप्त जांच करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित नही किया गया मात्र तहसीलदार शेरगढ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अति० सरकारी अधिवक्ता
जोधपुर

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार द्वारा अभिशंषा की गई गै.मु.रास्ते की भूमि को नक्शे मे अपीलांटगण की कृषि भूमि के मध्य से अन्य कृषको को रास्ता प्रदान करने हेतु दो भागो मे विभाजित कर दिया जबकि तहसीलदार शेरगढ का दायित्व था कि खातेदारो की कृषि भूमि को कम से कम हानि हो, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–7–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 जिसके तहत चालू सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करने के निर्देशो की पालना मे तहसीलदार शेरगढ ने मौजा खिरजा भोजा के खसरा नंबरान 313, 316 एवं 287 मे मौके पर रास्ता विद्यमान है परंतु राजस्व रेकर्ड मे उनका अमल दरामद नही होने से प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को प्रेषित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 से 15 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी के खेत एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 15 के खेत पास–पास आये हुए है तथा कथन किया कि रास्ता पीढियों से अपीलांटगण के खेत से चला आ रहा है परंतु राजस्व नक्शे मे रास्ता दर्ज नही होने से राज्य सरकार द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार शेरगढ द्वारा रास्ते की भूमि को राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ता दर्ज करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 से 15 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जिस रास्ते का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया गया है, उस रास्ते का उपयोग सभी सह खातेदार एवं आवेदकगण अपने खेत से आगे के खेतो मे आने जाने हेतु तथा अपने खेतो मे बनी ढाणियों मे आने जाने हेतु पीढियो से करते आ रहे है तथा इसके अलावा आवेदककर्ताओ एवं अन्य खातेदारो के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि उक्त रास्ते का सभी सह खातेदार शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग कर रहे थे परंतु उक्त आदेश पारित होने के उपरांत अचानक अपीलांट ने गलत रूप से रास्ते को बंद कर दिया, तब मजबूरीवशः आवेदकगण एवं अन्य सह खातेदार अपनी–अपनी कृषि भूमियो मे नदी की भूमि मे से आने जाने लगे है तथा इसका

फायदा उठाकर अपीलांट ने गलत रूप से मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करवाई है जबकि पूर्व मे पटवारी हल्का तथा तहसीलदार शेरगढ के प्रस्ताव के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–7–2018 विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 जिसके तहत चालू सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करने के निर्देशो की पालना मे तहसीलदार शेरगढ ने मौजा खिरजा भोजा के खसरा नंबरान 313, 316 एवं 287 मे मौके पर रास्ता विद्यमान है परंतु राजस्व रेकर्ड मे उनका अमल दरामद नही होने से प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को प्रेषित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–7–18 को पारित किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 20–7–18 के विरूद्ध इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 19–11–18 की आदेशिका की पालना मे तहसीलदार शेरगढ से अपीलाधीन आदेश मे वर्णित राजस्व ग्राम खिरजा भोजा के खसरा नंबरान 313/3, 313/2, 313 की भूमि के संबंध मे पक्षकारान के रूबरू मौके के आलामात की वस्तुस्थिति रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार शेरगढ ने उनके पत्रांक 2835 दिनांक 12–12–2018 के सलंग्न मौके के आलामात की जांच कर मौका रिपोर्ट दिनांक 12–12–2018 तैयार कर प्रेषित की है जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा नंबर 313/3, 312/2 व 313 मे मौके पर पूर्व मे कच्चा चलायमान रास्ता चल रहा था, जो आगे के खसरा संख्या 316 व 287 को जोडता था मगर खातेदार भंवरसिह, सुलतानसिह व माधोसिह ने उक्त खसरान नंबरान मे से चल रहे रास्ते को बंद कर दिया था इसलिए खसरा नंबर 316 व 287 के खातेदारो के आवागमन के लिए खसरा नंबर 310 गै.मु.नदी व खसरा नंबर 288 गै.मु.गोचर मे से रास्ता उपलब्ध है, जिसका वे उपयोग कर रहे है परंतु राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है ।

तहसीलदार शेरगढ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख किया है कि आधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय अनुसार खसरा नंबर 313/3, 312/2 व 313 के बीच मे से रास्ता निकालने पर खेतो के दो टुकडे हो रहे है जिससे खेती के लिए उपयुक्त हिस्सा प्रभावित हो रहा है तथा रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख किया कि खसरा नंबर 320 की तरफ मेड पर रास्ता निकालना ज्यादा उपयुक्त रहेगा जिसका उपयोग खातेदार पशु चराने के लिए कर रहे है व खातेदार मेड की ओर से रास्ता देने के लिए सहमत भी है जिससे खेत के अनावश्यक टुकडे न हो ।

तहसीलदार शेरगढ द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 313/3, 312/2 व 313 के जांच प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य मे अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन

आदेश दिनांक 20–7–2018 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि इस प्रसंग मे गै.मु. नदी मे से होकर रास्ते की अनुमति किसी भी प्रकार से दी जाना प्रासंगिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से समिचीन नही है । रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 के परिपेक्ष्य मे की गई कार्यवाही जिसमे खेतो के बीच मे से होकर रास्ता जाना यद्यपि परिपत्र की अक्षरशः पालना मे प्रासंगिक है परंतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की मूल भावना, जिसमे भूमि के रास्तो के कारण छोटे–छोटे टुकडे न होना एवं रास्ते इत्यादि का इस प्रकार से निर्गम करने की मंशा है जिससे भूमि काश्तकार एवं कृषि का न्यूनतम नुकशान व अपव्यय हो ।

इस दृष्टि के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किये जाते है कि सभी संबंधित पक्षकारो को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर आवागमन के रास्ते का विधिसम्मत तरीके से इस प्रकार निर्गम स्थल सामन्जस्यपूर्वक निर्धारित करे कि गै.मु.नदी एवं अन्य दुर्गम व असुरक्षित रास्ते से सामान्य आवागमन न हो । साथ ही यदि कदीमी तौर पर चल रहा रास्ता यदि खेतो के बीच से चला आ रहा है तो आपसी समझाईश, सामन्जस्य तथा अधिनियम के हितो के अन्तर्गत काश्तकारो के हितो की रक्षार्थ तथा भूमि के छोटे–छोटे विखण्डन को दरकिनार करते हुए कोई उचित एवं सार्वमान्य रास्ता यदि दूसरे के खेतो मे जाने को मौके की स्थिति के अनुरूप प्रासंगिक हो तो उस पर गौर कर उचित निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 16–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर